न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./2005/3782/जयपुर

1– रामचन्द्र
2– गोपाल
3– प्रभूनारायण
समस्त पुत्रान धन्ना जाति अहीर निवासी रामसिंहपुरा बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1– मन्दिर श्री लक्ष्मणजी विराजमान सांगानेर जरिये पुजारी ओमप्रकाश दत्तक पुत्र सत्यनारायण असल पुत्र रामेश्वर पौत्र शंकरलाल जाति खण्डेलवाल ब्राहमण निवासी सांगानेर जिला जयपुर।
2– पुजारी ओमप्रकाश दत्तक पुत्र सत्यनारायण पौत्र शंकरलाल जाति खण्डेलवाल ब्राहमण निवासी सांगानेर मन्दिर श्री लक्ष्मणजी त्रिपोलिया गेट, सांगानेर जिला जयपुर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्ट

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः
श्री दुनीचन्द, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री आत्माराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2

दिनांक : 04–12–2019

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 30–6–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) के समक्ष विरूद्ध अपीलार्थी अन्तर्गत धारा–88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि ग्राम रामसिंहपुरा वास तहसील सांगानेर के किता 16 रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा भूमि मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी की है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग हैं इसलिये काश्त करने में असमर्थ है। उक्त भूमि को प्रतिवादी के पिता धन्ना को बांटे में काश्त पर दे दिया था जिससे मन्दिर की सेवा का खर्चा चलता रहे। वर्ष 1999 में प्रतिवादीगण ने उपज का हिस्सा देने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने पटवारी से राजस्व रिकार्ड की स्थिति की जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है। इसलिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद करना पड़ा। वाद में प्रार्थना की गई कि विवादित भूमि का मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज लक्ष्मणजी को खातेदार घोषित किया जाये व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये।

3– दावा दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हुये और एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–6–2004 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सीपीसी स्वीकार कर दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–6–2005 द्वारा आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि कानूनी प्रक्रिया अपनाकर प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करें। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक

30–6–2005 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये यह नहीं बताया कि इसमें क्या त्रुटि थी? अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मात्र अवधारणाओं पर आधारित है। आदेश–7 नियम–11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से कानूनी आपत्तियां यथा क्षेत्राधिकार व दावा दायर करने का अधिकार बाबत उठाई गई थी जिन पर विचारण न्यायालय ने सही निर्णय प्रदान किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई टिप्पणी किये सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया, जो कि विधि के विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर का निर्णय यथावात रखा जाये।

6– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण ने आदेश–7 नियम–11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में केवल यह कथन किया था कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा पूर्वजों से चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में भी उनका नाम दर्ज है। इस कारण वादीगण न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है। वाद कारण का होना अथवा नहीं होना, विधि का बिन्दु नहीं होकर तथ्यात्मक बिन्दु है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता है। वाद कारण के बिन्दु पर आदेश–7 नियम–11

सीपीसी पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण को चाहिये था कि वे जवाब दावा प्रस्तुत करते तथा उसमें यह बिन्दु उठाते। तनकीयात कायम होकर साक्ष्य दर्ज करने के बाद वाद में गुणावगुण के साथ इस बिन्दु पर भी निर्णय पारित किया जाता। लेकिन विचारण न्यायालय ने बिना कानून का अध्ययन किये, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जिसे अपास्त कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने विधिसम्मत कार्य किया है। अतः अपील खारिज की जाये।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

8– व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 में निम्न प्रावधान हैं :–

11– वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा–

(क) जहां यह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाप्म पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है :

(ड.) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वाद नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में

असफल रहता है :

(परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिये या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जायेगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इन्कार किये जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।)

9– आदेश–7 नियम–11(9) में अंकित है कि जहां वाद हेतुक दर्शित नहीं हो, वहां दावा खारिज किया जा सकेगा। इस प्रकरण में वाद हेतुक दर्शित था या नहीं, इसके लिये वाद पत्र का अवलोकन करना होगा। वाद पत्र की मद संख्या–7 से 10 निम्न प्रकार है :–

7– यह कि इस पर वादी नम्बर–2 हल्का पटवारी से मिला एवं भूमि के रिकार्ड के बाबत जांच पड़ताल की तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण नम्बर–1 लगायत 3 ने अपने नाम करवा ली है जिसका कि उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। वादी नम्बर–2 पुनः प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 3 से मिला एवं उन्हें समझाया कि उक्त भूमि मूर्ति मंदिर लक्ष्मणजी की खातेदारी की है जो माफी मन्दिर भूमि है। यह भूमि उन्हें अपने नाम लगवाने का कोई अधिकार नहीं है वे वापस भूमि रेकार्ड में मन्दिर के नाम से दर्ज करादें परन्तु प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये एवं वादी नम्बर–2 को धमकी दी कि यदि आज के बाद वह कभी इस भूमि के बारे में उनसे आकर बात करेगा तो वे उसे जान से खतम कर देंगे।

8– यह कि इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा भूमि की खातेदारी अपने नाम करा लेने से वादी के अधिकारों का हनन हुआ है तथा उक्त इन्द्राज वादी के अधिकारों के मुकाबले प्रभावहीन है जिसे निरस्त कराने का वादी अधिकारी है अतःवादीर को वाद अधिकार घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

9– यह कि वादी नम्बर–2 ने प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 3 को भूमि का कब्जा वापिस संभलाने को भी इस वर्ष माह मई में कहा तो उन्होंने कब्जा छोड़ने से भी इन्कार कर दिया तथा अब वे अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिन्हें बेदखल कराने का वादी को पूर्ण अधिकार है। इस कारण वाद कारण बेदखली एवं वापसी कब्जा प्राप्त करने मई 2000 में उत्पन्न हुआ।

10– यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 3 भूमि पर हुये इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाकार भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय करना चाहते हैं

यदि वे भूमि का विक्रय कर देते हैं तो वादी को पर्याप्त हानि होगी। अतः वाद स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

10– इस प्रकार स्पष्ट है कि वाद पत्र में वाद हेतुक का वर्णन किया गया है और स्पष्ट तौर पर वाद प्रस्तुत करने का कारण अंकित किया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में क्षेत्राधिकार व वाद दायर करने का अधिकार नहीं होने बाबत तथ्य अंकित किये हैं जो प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सीपीसी में अंकित नहीं हैं। जो तथ्य प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सीपीसी में वर्णित नहीं हैं उन्हें द्वितीय अपील के स्तर नहीं उठाया जा सकता है। अतः उक्त दोनों आपत्तियां स्वीकार्य नहीं है।

11– विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) ने अपने निर्णय दिनांक 28–6–2004 में निम्न अंकित किया है :–

"अप्रार्थी द्वारा अपने वाद के पैरा नम्बर–6 में फसल उन्हालू में प्रार्थीगण द्वारा कब्जा हटाये जाने का अंकन किया गया है जो कि रिकार्ड एवं अभिभाषक के कथन से प्रमाणित नहीं होता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी / वादी संख्या–2 का दावा लाने का वाद हैतुक दर्शित नहीं होता है।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी / अप्रार्थी का यह वाद borred by law एवं वाद हैतुक दर्शित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या–1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–7 नियम–11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है पर्चा डिकी तैयार किया जाकर शामिल मिसल किया जावे।"

12– इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना आदेश–7 नियम–11 सीपीसी का अवलोकन किये उक्त निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सीपीसी में प्रतिवादीगण ने कहीं भी अंकित नहीं किया है है कि दावा विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) है, लेकिन विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) ने प्लीडिंग्स से बाहर जाकर

मनमाना व विधि के विरूद्ध निर्णय प्रदान किया है, जो पोषणीय नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है।

13– अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने सम्पूर्ण प्रकरण का विशद् विवेचन कर निर्णय प्रदान किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

14– यहां यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि दावा मूर्ति मन्दिर ठाकुरजी, लक्ष्मणजी की ओर से वाद मित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। मूर्ति मन्दिर ठाकुरजी, लक्ष्मणजी शाश्वत नाबालिग हैं और कोई भी व्यक्ति उनका वाद मित्र बन सकता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–46(1)(a) के तहत अव्यस्क के हितों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य भी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने शाश्वत नाबालिग के हितों की अनदेखी कर गंभीर त्रुटि की है।

15– हमारा विनम्र मत है कि यदि कोई यदि कोई विधिक आपत्ति प्रतिवादीगण कोई विधिक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन्हें अपने जवाब दावे में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके आधार पर तनकीयात कायम की जा सकेंगी और तथ्यात्मक अथवा विधिक तनकी पर उभय पक्षों को सुनकर निर्णय किया जा सकेगा। केवल तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर वाद निरस्त नहीं किया जाना चाहिये। यद्यपि इस प्रकरण में तो कोई तकनीकी बिन्दु भी नहीं था।

16– अतः अपील में ऐसे कोई ठोस तथ्य एवं विधि के बिन्दु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिनके आधार पर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जा सके। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत,

तर्कसंगत तथा न्यायसंगत है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

17– फलस्वरूप हस्तगत अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय दिनांक 30–6–2005 यथावत रखा जाता है। उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) में दिनांक 23–12–2019 को उपस्थित होंवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य